


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स प्रार्थना पत्र 334/2024 अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. जयराम वगै० बनाम तहसीलदार गुढागौडजी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामिल प्राप्त। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में जबाब दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हो चुका है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांक राजस्व/16/11578 दिनांक 22.12.2016 के अनुसार प्रचलित रास्तों का कटान होने से ग्राम भोड़की में नामान्तरण संख्या 3009 निर्णय दिनांक 30.05.2017 भूमि खसरा नम्बर 3803/1828, 1829, 1828 नामान्तरण संख्या 3010 निर्णय दिनांक 30.05.2017 से खसरा नम्बर 1830, 1827, 1700 नामान्तरण संख्या 3011 निर्णय दिनांक 30.05.2017 से खसरा नम्बर 1702, 1703, 1696 नामान्तरण संख्या 3014 निर्णय दिनांक 30.05.2017 से खसरा नम्बर 1654, 1656, 1657 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने S. B. Civil Writ Petion no. 4086/2017 निर्णय दिनांक 28.11.2017 द्वारा अपास्त/निरस्त कर प्रकरण को पुनः प्रति प्रेषित किया गया था। पत्रावली प्रति प्रेषित होकर मुकदमा नम्बर 334/2024 उनवानी जयराम वगै० बनाम तहसील गुढागौडजी दर्ज हुआ। अतः नामान्तरण संख्या 3009, 3010, 3011 व 3014 स्वीकृति दिनांक 30.05.2017 को खारिज कर पूर्व की स्थिति बहाल की जायें। दौराने बहस अधिवक्ता ने मूल दावा की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 को खारिज कर प्रकरण संख्या 182/2016 से पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल की जावें। अतः ग्राम गढवालों का बास पटवार हल्का भोड़की के नामान्तरण संख्या 3009, 3010, 3011 व 3014 स्वीकृति दिनांक 30.05.2017 को निरस्त कर पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल की जावें।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने S. B. Civil Writ Petion no. 4086/2017 निर्णय दिनांक 28.11.2017 द्वारा अपास्त/निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गढवालों का बास पटवार हल्का भोड़की के नामान्तरण संख्या 3009, 3010, 3011 व 3014 स्वीकृति दिनांक 30.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पालना हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
 17/02/25  
 सहायक क्लर्क  
 मुमुन